कार्य योजना प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य योजना के विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली भांति अवलोकन कर लिया गया है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि आरक्षित वन के जाफराबाद कक्ष सं0–4 व 5 के अन्तर्गत है। उक्त वन भूमि विविध रोपण कार्यवृंत के अन्तर्गत आता है। उक्त वन भूमि पर आगामी वर्षो में कोई कार्य प्रस्तावित नही है। उक्त वन भूमि पर सागौन, रोहिणी, अलेन्थस, खैर, सीरस आदि के वृक्ष खडे है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी, कौड़िया	उप प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

प्रपत्र–3

DETAILS OF WORKING CIRCLE AND IMPLEMENTATION IN EXPRIRED/ON GOING WORKING PLAN

Sr. No.	Working circle as per last working plan	Area (in ha)	Actual area worked upon (removal of timber) removal (in ha)	Working circle in proposed working plan	Proposed area (in ha)	Deviation (if any)+/-wrt 3&6	Reasons for deviation
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वेक्षण एंव सीमांकन कार्यवृत्त	33399.00	—	सर्वेक्षण एंव सीमांकन कार्यवृत्त	32951.516	–447.4737	प्रस्तावित कार्ययोजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
2	साल सुधार कार्यवृत्त।	7357.80	—	साल सुधार कार्यवृत्त।	7357.80	—	
3	भूमि एंव जल सरंक्षण कार्यवृत्त	9467.50	—	भूमि एंव जल सरंक्षण कार्यवृत्त	9467.50	—	
4	यूकेलिप्टस कार्यवृत्त	5529.40	—	यूकेलिप्टस कार्यवृत्त	5529.40	—	
5	विविध रोपण कार्यवृत्त	11044.30	—	विविध रोपण कार्यवृत्त	11044.30	—	
6	गैर प्रकाष्ठ वन उपज (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	गैर प्रकाष्ठ वन उपज (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	32951.516	–447.4737	प्रस्तावित कार्ययोजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
7	वन्यजीव प्रबन्ध (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	वन्यजीव प्रबन्ध (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	32951.516	–447.4737	–"–
8	वन अग्नि सुरक्षा (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	वन अग्नि सुरक्षा (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	32951.516	–447.4737	–"–
9	संयुक्त वन प्रबन्ध (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	33399.00	—	संयुक्त वन प्रबन्ध (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	32951.516	–447.4737	–"–

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

प्रपत्र 2(A)

DIVISION AREA STATEMENT

Sr. No.	Name of Range	Legal Status of Forest	Forest Area (in ha) as per on going / Expired Working Plan	Forest Area (in ha.) as per Proposed Working Plan	Deviation (6-5)	Reason for Deviation with supporting documents.
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	5605.80 हे0 –	5413.674हे0 –	-192.1257	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
2	साहनपुर	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	8105.80 हे0 –	8105.781हे0 –	-	–
3	कौड़िया	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	5894.60 हे0 +977.30 6871.90 हे0	5908.425हे0 +977.30 6885.725हे0	13.825 -	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
4	बढापुर	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	7031.70 हे0 –	6761.693हे0 –	-254.165 -	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
5	साहूवाला	निहित वन पुराने आरक्षित वन (ओल्ड रिजर्व)	5783.80 हे0 –	5784.653हे0 –	-14.989 -	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।
		कुल योगः–	33399.00 हे0	32951.516 हे0	-447.4737	प्रस्तावित कार्य योजना में क्षेत्रफल प्रभाग में उपलब्ध गजट नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

	साहनपुर	हल्दूखाता–2	50.00	
		हल्दूखाता–6	20.00	
		हल्दूखाता–4	20.00	
		साहनपुर–4	50.00	
		हल्दूखाता–1	10.00	
		साहनपुर–3अ	10.00	
		साहनपुर–8	40.00	
		ढाका–1	10.00	
		ढाका–2	20.00	
		योग–		
	राजगढ़	साहनपुर–2	100.00	
		साहनपुर–5	20.00	
		साहनपुर–6	40.00	
		योग–	160.00	
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2022–23	कौड़िया	जाफराबाद– 6अ	20.00	
		मोहनवाली–3अ	10.00	
		योग–	30.00	
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	साहनपुर–2	21.00	
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2023–24	कौड़िया	जाफराबाद–10	10.00	
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2024–25	कौड़िया	जाफराबाद–9	08.00	
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त

नोट–वनावृद्वि एंव वनो की संघनता हेतु और आवश्यकतानुसार यथा समय मौके की स्थिति एंव बजट की उपलब्धता के अनुसार उचित प्रजातियों के रोपण हेतु क्षेत्र लिये जा सकेगें।

13.8.1 यूकेलिप्टस कार्यवृत में वार्षिक पातन कूपों में उल्लिखित इस कार्यवृत के क्षेत्र, जिनमें जड़ खुदान के पश्चात उन्हीं वर्षों में रोपण किया जाना है।

13.8.2 यूकेलिप्टस कार्यवृत के वार्षिक पातन कूपों में उल्लिखित इस कार्यवृत के क्षेत्र, जिनमें कॉपिस पातन के पश्चात मात्र उन क्षेत्रों का परिपालन कार्य किया जाना है।

13.10 रोपण विधि–

13.10.1 यांत्रिक विधि–

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

OPPO Reno8 T 5G

	साहनपुर	साहनपुर–13	14.00	रिक्त
	राजगढ़	साहनपुर 4अ	50.00	–
	बढापुर	बढापुर – 4	30.00	–
		ढकरिया– 5	52.00	
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2021–22	कौड़िया	जाफराबाद– 2 अ	10.00	जड़ खुदान के पश्चात् यूके0क्लोन का वृक्षारोपण होगा।
		जाफराबाद– 3	10.00	–''–
		योग–	20.00	
	साहनपुर	साहनपुर–हल्दूखाता–5	10.00	
		साहनपुर–13	40.00	
	राजगढ़	साहनपुर 4 अ–1	20.00	
	बढापुर	ढकरिया–4	10.00	
		ढकरिया–5	10.00	
		योग–	20.00	
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2022–23	कौडिया	**रिक्त**	**रिक्त**	**रिक्त**
	साहनपुर	साहनपुर कक्ष–12	30.00	–
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2023–24	कौडिया	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2024–25	कौडिया	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहनपुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	राजगढ़	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	बढापुर	रिक्त	रिक्त	रिक्त
	साहूवाला	रिक्त	रिक्त	रिक्त

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

––––––0000––––––

यदि उक्तानुसार प्रयास किये जायें तो वन्य प्राणियों के संवर्धन एवं सरक्षण में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

16.13.2. वन्य जीवों का भोजन प्रबन्ध– वन्य जीवों के लिये उनके प्राकृतिक वास को बनाये रखा जाये तो सदैव उनके भोजन की व्यवस्था हो सकती है। इसके लिये निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिये–

1. छोटे–छोटे टुकड़ों या पट्टियों में मिश्रित प्रकार की भोज्य/चारा प्रजातियों का रोपण किया जाये तथा फल दार प्रजातियों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाये। वन्य जीवों हेतु भोज्य/चारा प्रजातियों में गूलर, पाकड़, बरगद, पीपल, सहजन, आँवला, अगस्त, बहेड़ा, हर्रा, महुआ, बेर आदि प्रमुख हैं।
2. विद्यमान अधोवितान में उगने वाली झाड़ियों जैसे–बेर, करौंदा, झड़बेरी आदि, को बनाये रखा जाये ताकि वन्य जीवों को उनसे भोजन, संरक्षण एवं आवरण की प्राप्ति हो सके ।
3. पानी के अन्दर पायी जाने वाली वनस्पति को बनाये रखा जाये ताकि पानी में रहने वाले वन्य प्राणियों जैसे मछली आदि को आहार की प्राप्ति हो सके।
4. आवरण में जितनी विविधता होगी उतना ही वन्य जन्तु सुरक्षित रहेंगे। अतः जैव विविधता को बढ़ाने का प्रयास किया जाये।

प्रभाग में वन्य जीव प्रबन्ध के दृष्टिकोण से आवश्यक कार्यो का समावेश करते हुये रू0. 798.00 लाख की एक पंचवर्षीय योजना वर्ष 2004 में " **हाथी परियोजना** " के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित की गई है। इस योजना में मुख्य रूप से निम्न कार्य प्रस्तावित हैं–

1. वृक्षारोपण/चौहड़ विकास
2. वाटर होल्स का निर्माण।
3. मानव वन्य जीव द्वन्द को नियमित /कम करने के उद्देश्य

(i) सौर ऊर्जा तार बाड़ किया जाना ।

(ii) कृषिकों को हुई हानि के विरूद्ध क्षति पूर्ति।

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

OPPO Reno8 T 5G

सारणी 15.6

औषधि प्रजातियों के रोपण कूप

रोपण वर्ष	कक्ष का नाम	कार्यवृत्त	क्षेत्रफल (हे0)
2013–2014	हल्दूखाता–2	विविध रोपण	5.0
2014–2015	साहनपुर–7 अ	विविध रोपण	5.0
2015–2016	मोहनवाली–4	विविध रोपण	5.0
2016–2017	साहनपुर–6	विविध रोपण	5.0
2017–2018	जाफराबाद–5	विविध रोपण	5.0
2018–2019	साहनपुर–8अ	विविध रोपण	5.0
2019–2020	साहनपुर–9	भूमि एवं जल संरक्षण	5.0
	योग		35.00

क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार ही रोपित की जाने वाली स्थानीय जड़ी बूटी की प्रजाति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। प्रभाग में रोपित की जा सकने वाली प्रजातियों में मुख्य है– आँवला, बेल, बहेड़ा, हरड़, लसोड़ा, अश्व गंधा, सर्पगंधा, घृत कुमारी, ब्राहमी, कालमेध, सतावर, पीपली आदि।

प्रभाग की दो रेंजो में एक–एक जड़ी–बूटी पौधशाला स्थापित की जायेगी। इस पौधशाला के लिये पृथक से नये स्थलों का चयन करने की आवश्यकता नहीं है वरन् प्रभाग में पूर्व से स्थापित पौधशालाओं में ही उपलब्ध स्थान का उपयोग किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर पुरानी पौधशालाओं का विस्तार भी किया जा सकता है। यदि प्रभागीय वनाधिकारी नयी पौधशाला स्थापित करना चाहें तो इसमे कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

15.13.7–निर्यात हेतु प्रतिबन्धित जड़ी–बूटियाँ–पूर्व में हुये अनियंत्रित विदोहन के कारण वर्तमानमें अनेकों औषधीय पौधे लुप्त होने की कगार पर हैं। परिणामतः महानिदेशक, विदेश व्यापार (Diector General, Foreign Trade) द्वारा ऐसे 46 लुप्त प्रायः पौधों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। भविष्य में इन पौधों तथा इनके उत्पादों के निर्यात की अनुमति .

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

साहूवाला	साहूवाला–8	नरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 मे निर्मित तालाब
कौडिया	जाफराबाद–10,	नरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 मे निर्मित तालाब
	जाफराबाद–9	हाथी परियोजना के अन्तर्गत निर्मित पक्का वॉटर होल
राजगढ	साहनपुर–4 (अ)	हाथी परियोजना के अन्तर्गत निर्मित तालाब

वनों में स्थित अधिकांश प्राकृतिक जल स्रोत गर्मियों में सूख जाते हैं जिससे वन्य प्राणियों के लिये गर्मियों में जल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में वन्य जीव पानी व भोजन की तलाश में अपने प्राकृतिक वास स्थलों के बाहर गावों/कस्बों में निकल जाते हैं और इस प्रकार उनके अवैध शिकार की सम्भावनायें बढ़ती हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुये तथा उक्त कारण वश होने वाले वन्य जीवों के अवैध शिकार को नियन्त्रित करने के लिये वन क्षेत्रों में अधिक से अधिक वाटर होल्स व चैकडैम बनाने की आवश्यकता होती है।

वाटर होल्स के निर्माण के समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है–

1. यथा सम्भव मिलन रेखा (जहाँ पर दो परिस्थान मिलते हैं) जैसे बाग, चारागाह, नदियों, पानी के गड्ढे, दलदल भूमि तथा वन क्षेत्र की सीमाओं को विकसित किया जाये।
2. वनों को आग से बचाया जाये क्योंकि आग से ह्यूमस, वन्य जन्तुओं के भोजन ,आश्रय स्थल एवं कभी–कभी इनके शावकों का विनाश हो जाता है।
3. वाटर होल्स ऐसे स्थान पर बनाये जाने चाहिए जहाँ पर पानी के निरन्तर बने रहने वाले प्राकृतिक स्रोत हों ताकि इन वाटर होल्स को इनसे जोड़ा जा सके और इस प्रकार ग्रीष्म काल में भी इन वाटर होल्स में पानी की उपलब्धता बनायी रखी जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद